(B)

पंजीकृत / निजी ध्यानार्थ

संख्याः– ई0डी0एन0–एच0ई0(21)ए0(3)31 / 2020–वी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

Tel:0177&2653120, dhe-sml-hp@nic.in', Fax:2812882

दिनांक शिमला–1 फरवरी, 2020

सेवा में

1. उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
   समस्त जिला, हिमाचल प्रदेश
2. प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
   समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशाला,
   हिमाचल प्रदेश

विषयः– **Suo-Moto action on the news item published in Punjab kesari Hindi Newspaper on dated 04-12-2019 titled -'घर से स्कूल भेजे बच्चे जंगलों में कर रहे मटरगश्ती। मामला जिला शिमला का है।'**

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय पर, पत्र संख्याः–सी.पी.सी.आर.–ए(4)–2 / 2018–40–42 दिनांक 21–01–2020 के अन्तर्गत निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित खबरशीर्षक **-'घर से स्कूल भेजे बच्चे जंगलों में कर रहे मटरगश्ती। मामला जिला शिमला का है।'**पर आयोग द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है जिन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अतः आयोग द्वारा चाहा गया है कि इस हेतु शिक्षा विभाग, सभी स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाएं जाएं, जिसमें अभिभावकों को जागरुक किया जाए कि वे समय–2 पर विद्यालय से अपने बच्चे की जानकारी लेते रहें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके बच्चे स्कूल के बजाय कहीं और तो नहीं जा रहे हैं अथवा किसी गलत व्यवसाय में संलिप्त तो नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि वे केवल अपनी पढाई की ओर ध्यान केंद्रित करें तथा नशे से दूर रहें क्योंकि इससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है।

इस सन्दर्भ में, आपको निर्देश दिये जाते हैं कि जैसाकि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा चाहा गया है, मामले में तदानुसार कार्यवाही की जाए तथा मामले में अनुपालना रिपोर्ट इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

इसके अतिरिक्त यह निर्देश दिये जाते हैं कि बच्चों की छुट्टी तभी मंजूर की जाए जब छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित हो। अगर कोई भी बच्चा बिना अनुमति के अनुपस्थित हो तो उसके अभिभावकों को तुरन्त सूचित किया जाए। तथा स्कूल में होने वाली PTM (Parents Teachers Meeting) में अभिभावकों को कक्षा में उनके बच्चों की दिनचर्या / गतिविधियों से अवगत कराएं और घर में भी बच्चों के बर्ताव व कियाकलापों के बारे में अभिभावकों से बातचित करें।

-Sd-
(डा0 प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक(महा0),
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–1 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश, शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज़–3, न्यू शिमला–171009.
2. तकनिकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय को पत्र की प्रति को विभगीय वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने बारे।
3. रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(महा0),
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि० प्र०

19 FEB 2020